संख्या– 165 / 1–11–2016–1 (जी) / 2015

प्रेषक,

सुरेश चन्द्रा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

संतरविदास नगर, सोनभद्र, सुलतानपुर, मीरजापुर, बलिया, सिद्धार्थनगर, शाहजहांपुर, बांदा, प्रतापगढ़, चंदौली, इटावा, बस्ती, बागपत, जौनपुर, फैजाबाद, गोण्डा, कन्नौज, बाराबंकी, संतकबीरनगर, झांसी, जालौन, गोरखपुर, हाथरस, एटा, इलाहाबाद, गाजियाबाद, फर्रुखाबाद, मऊ, उन्नाव, रामपुर, हमीरपुर, ललितपुर, चित्रकूट, कानपुर नगर, लखनऊ, देवरिया, मैनपुरी, महराजगंज, आगरा, औरैया, पीलीभीत, अमेठी, महोबा, रायबरेली, कुशीनगर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, फतेहपुर, अम्बेडकरनगर एवं बलरामपुर।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 13 मई, 2016

विषयः– अवर्षण के कारण प्रदेश में सूखे से प्रभावित कृषकों की मुख्य देयों की वसूली स्थगित करने तथा उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–453 / 1–11–2014–7 (जी) / 2015, दिनॉक 19.11.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवर्षण के कारण प्रदेश में सूखे से प्रभावित कृषकों की मुख्य देयों की वसूली दिनॉक 31.03.2016 तक स्थगित रखने तथा उक्त अवधि में किसी प्रकार की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न किये जाने का आदेश निर्गत किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया है कि उक्त शासनादेश दिनॉक 19.11.2015 के प्रभावी अवधि (31.03.2016 तक) में सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने के दृष्टिगत फसल की उपज नहीं हो पायी है। किसानों द्वारा जिन फसलों की बुवाई की गयी थी, उसकी उपज औसत से भी कम की हुयी है।

3. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सूखाग्रस्त घोषित जनपदों के प्रभावित कृषकों के अवशेष मुख्य राजस्व देयों (भू–राजस्व एवं सिंचाई) की वसूली दिनॉक 30.09.2016 तक स्थगित रखी जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में कृषि ऋण से सम्बन्धित विविध देयों की वसूली हेतु कृषकों के विरुद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही नही की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं तद्दिनॉक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी।
3. मुख्य स्टाफ ऑफीसर।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्।
5. स्टाफ ऑफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त।
6. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उ0प्र0 शासन।
7. सम्बन्धित मण्डलायुक्त उ0प्र0।
8. संयुक्त सचिव एवं केन्द्रीय राहत आयुक्त, गृह मंत्रालय भारत सरकार नार्थ ब्लाक नई दिल्ली।
9. अनु सचिव (आपदा प्रबन्धन) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) भारत सरकार कृषि भवन, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।